सुबोध पब्लिक स्कूल, रामबाग, जयपुर

सं.03 **दिनांक : 20.04.2024**

विषयः सरकार व शिक्षा विभाग द्वारा निर्देशित विद्यालयस्तरीय फीस निर्धारण समिति के विद्यालय में गठन हेतु ।

महोदय / महोदया,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि विद्यालय में राजस्थान विद्यालय (फीस का विनियम) अधिनियम 2016 और राजस्थान विद्यालय (फीस का विनियम) नियम 2017 के अनुसार माता–पिता अध्यापक संगम हेतु आपके द्वारा निर्धारित शुल्क जमा कराकर पंजीयन कराया जा चुका है तत्पश्चात राज्य सरकार द्वारा पारित किये गये फीस अधिनियम–2016 की पालना में विद्यालय में विद्यालय स्तरीय फीस समिति का गठन किया जाना है । इसी क्रम में विद्यालय स्तरीय फीस समिति के चुनाव के लिए निकाली जाने वाली लॉटरी के लिए एक बैठक का आयोजन सोमवार, दिनांक 29 अप्रेल 2024 को प्रातः 11.00 बजे विद्यालय परिसर में रखा गया है जिस हेतु इच्छुक सभी सदस्यों की उपस्थिति अतिआवश्यक है अतः इच्छुक सदस्य अपनी सहमति शुक्रवार दिनांक 26 अप्रेल, 2024 तक संलग्न प्रारूप में आवश्यक रूप से ऑनलाईन लिंक https://forms.gle/JJzequ67cNhHZvzY6 पर प्रस्तुत कर दें तथा लॉटरी हेतु नियत दिनांक व समय पर उपस्थित हो कर लॉटरी की सम्पूर्ण प्रक्रिया में हिस्सा लेने का श्रम करें । सहमती के अभाव में सदस्य को लॉटरी प्रक्रिया में शामिल किया जाना सम्भव नहीं होगा । अंतिम तिथि अर्थात दिनांक 26 अप्रेल, 2024 तक सहमति प्रदान करने वाले उन सभी सदस्यों को जिनका / जिनके पुत्र/पुत्री चालू शैक्षणिक सत्र में अध्ययनरत है तथा शैक्षणिक सत्र 2025–26 में भी अध्ययनरत रहेंगे अथवा अध्ययन जारी रखेंगे को ही लॉटरी प्रक्रिया में सम्मिलित किया जायेगा जिस हेतु उन्हें अलग से सूचना भेजी जायेगी ।

नोट : विद्यालय स्तरीय फीस समिति की सदस्यता हेतु इच्छुक माता–पिता अपनी सहमति प्रदान करने से पूर्व निम्नलिखित दिशा–निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित करें :

1. विद्यालय स्तरीय फीस समिति की सदस्यता हेतु सहमति प्रदान करने के लिए वे ही माता–पिता पात्र होंगे जिन्होंने निर्धारित तिथि तक माता–पिता अध्यापक संगम हेतु निर्धारित सदस्यता शुल्क 50/– रूपये परिपत्र संख्या PTA/01 दिनांक 05.04.2024 के अनुसार विद्यालय में जमा करा कर पी.टी.ए. की सदस्यता ग्रहण कर ली है तथा जिनका पुत्र/पुत्री वर्तमान सत्र में इस विद्यालय में अध्ययनरत है तथा आगामी सत्र 2025–26 में भी इसी विद्यालय में अध्ययनरत रहेगा ।

2. विद्यालय स्तरीय फीस समिति की सदस्यता हेतु इच्छुक माता–पिता द्वारा अपनी सहमति प्रदान करने से पूर्व माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 03.05.2021 जिसके अन्तर्गत माता–पिता की योग्यता, पात्रता एवं उनके पुत्र/पुत्री की विद्यालय फीस की अदायगी के सन्दर्भ में दिशा–निर्देश व अन्य निर्देश आदि पारित किये गये हैं, की पालना सुनिश्चित करना अतिआवश्यक है ।

सधन्यवाद ।

श्रीमती कमलजीत यादव
प्राचार्या
सुबोध पब्लिक स्कूल,जयपुर